

समाहरणालय, मधेपुरा ।

(जिला आपूर्ति शाखा)

आदेश

सरकार के अपर सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-402, दिनांक-23.01.2013 के आलोक में किरासन तेल थौक विक्रेताओं के पुनरीक्षित कमीशन के संबन्ध में पत्र प्राप्त है, जिसके अनुसार वैसे थौक विक्रेता जो फार्म-XV के अन्तर्गत आते हैं, उन्हें 438.24 रु० प्रति के०एल० एवं जो विक्रेता फार्म-XV के अन्तर्गत नहीं आते हैं, उन्हें 377.73 रु० प्रति के०एल० की दर से पुनरीक्षित कमीशन दर संसूचित किया गया, जिसके आलोक में थौक एवं खुदरा किरासन तेल का दर निर्धारण किया गया था। पुनः संबंधित तेल कंपनियों द्वारा बीजक मूल्य घटा दिये जाने के कारण किरासन तेल के थौक एवं खुदरा दर का पुनर्निर्धारण किया जाना आवश्यक है।

अतः थौक विक्रेताओं द्वारा उपलब्ध कराये गये अद्यतन बीजक में अंकित दर एवं खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से प्राप्त अद्यतन निदेश के आलोक में थौक किरासन तेल विक्रेताओं का प्रति लीटर बिक्री दर निर्धारित करते हुए वितरण एवं ज०वि०प्र०वि० एवं ठेला/हॉकर के लिए प्रति लीटर बिक्री दर निम्न प्रकार निर्धारित किया जाता है:-

क्र०	थौक विक्रेता का नाम	प्रति लीटर बिक्री दर (रु० में)		
		थौक विक्रेता	ज०वि०प्र०वि०	ठेला भंडर
01.	मेसर्स शिवशक्ति एजेंसी, सिंहेश्वर	15.28	16.28	16.40
02.	मेसर्स शंभूनाथ चौधरी, आलमनगर	15.06	16.06	16.18
03.	मेसर्स श्यामा स्टोर्स, बिहारीगंज	15.03	16.03	16.15
04.	मेसर्स जयबजरंग एजेंसी, कुमारखंड	15.20	16.20	16.32
05.	मेसर्स चामुण्डे ऑयल एजेंसी, उदाकिशुनगंज	15.44	16.44	16.56
06.	मेसर्स मोतीलाल रामस्वरूप, मुरलीगंज	15.14	16.14	16.26

इस आदेश की सूचना सभी संबंधितों को दी जाए।

ह/०-

जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक.....981...../आ०, मधेपुरा, दिनांक.....21/1/13.....।

प्रतिलिपि:- सभी संबंधित थौक किरासन तेल विक्रेताओं को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/आपूर्ति निरीक्षक, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन शाखा, मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अपर समाहर्ता, मधेपुरा/उप विकास आयुक्त, मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सरकार के अपर सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/1/13

जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।